

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1232]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 28, 2008/भाद्र 6, 1930 NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 28, 2008/BHADRA 6, 1930

No. 1232]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2008

का.आ. 2127(अ).—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, 28 अगस्त, 2008 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 90 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

> [फा. सं. 1-2/एफ एस एस ए/एफ पी ओ/2008] देबाशीष पण्डा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2008

S.O. 2127(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) Section 1 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Central Government hereby appoints the 28th day of August, 2008, as the date on which the provisions of Section 90 of the said Act shall come into force.

[F. No. 1-2/FSSA/FPO/2008]

DEBASISH PANDA, Jt. Secy.